प्ररूप ख

Form B

भारतीय प्रतिभूति और विनिमिय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियम, 1999

Securities and Exchange Board of India

(Credit Rating Agencies) Regulations, 1999

[विनियम 8 क (6)]

[Regulation 8 A (6)]

साख निर्धारण एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS CREDIT RATING AGENCY

I. बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमिय बोर्ड अधिनियम, 1992, के अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with the regulations made there under the Board hereby grants a certificate of permanent registration to

> Acuite Ratings & Research Limited 708, Lodha Supremus Lodha iThink Techno Campus, Kanjurmarg (East) Mumbai-400042

को साख निर्धारण एजेंसी के क्रियाकलाप करने के लिए विनियमों मे शर्तों के अनुसार और के अध्यधीन साख निर्धारण एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एतद्वारा प्रदान करता है।

As a credit rating agency in accordance with and subject to the conditions in the regulations to carry out the activity of the credit rating agency.

- II. साख निर्धारण एजेंसी के लिए रजिस्ट्रीकरण सं आईएन/ सीआरए/006/2011 है। Registration number for the Credit Rating Agency is IN/CRA/006/2011.
- III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्थायी रूप से विधिमान्य होगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाये।

This certificate of registration shall be valid for permanent, unless suspended or cancelled by the Board.

स्थान: मुंबई Place: Mumbai

तारीख: 30 नवंबर, 2021

आदेश द्वारा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमिय बोर्ड के लिए और की ओर से

By order for and on behalf of

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

दिनेश जोशी /Dinesh Joshi

प्रभाग मुख्य/ Division Chief